FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

घीसी वगै0 बनाम ओमप्रकाश वगै0 नम्बर—— 49 ——सन्— 2025

किस्म मुकदमा—स्थगन प्रा0पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.6.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री वरूण नागर उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थगन प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपील उनवानी घीसी बनाम ओमप्रकाश बाबत खसरा परिशोधन विभाजन से संबंधित दिनांक 18.1.1982 सहायक भू प्रबंध अधिकारी जयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखी है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.7.2025 नियत है। ग्राम बनियाना तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नंबर 1321 से 1324, 1326, 1329 से 1331, 1348 से 1350, 1327, 1328, 1332 से 1337, 1343, 1345, 1338, 1341, 1346, 1347, 1325, 1339, 1340,1342, 1344 स्थित है। भू प्रबंध की कार्यवाही तक उपरोक्तम भूमि भडडू पुत्र मांग्या, बिरदा पुत्र भडडू हि.1/2, चौथ्या, कजोड पि. रामला हि. 1/2 की शामलाती खातेदारी में थी व शामलाती खातेदारी के हिसाब से ही उपरोक्त खातेदार अपने—2 हिस्से पर काबिज थे व उक्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ था। दौराने सैटलमेंट सहायक भू प्रबंध अधिकारी जयपुर ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चौथ्या पि. रामला जो कि एक अनपढ व्यक्ति था, उक्त सभी अनपढ व्यक्तियों का भू प्रबंध विभाग ने अवैध रूप से एक तकास्मा कर दिया जबकि भू प्रबंध विभाग को तकास्मा करने का या विभाजन करनेका कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं था। भू प्रबंध विभाग ने दिनांक 18.1. 1982 को कथित रूप से तकास्मा किया है वह अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया विभाजन है। भू प्रबंध विभाग को चाही से बारानी में होने वाले परिवर्तन को कायम कर लगान कायम करने का ही अधिकार था। भू प्रबंध विभाग ने दिनांक 18.1.1982 को कथित रूप से विभाजन किया है। अप्रार्थी सं0 1 से 7 खसरा नंबर 1339 रकबा 0.02है. वाके ग्राम बनियाना में जबरने से निर्माण कार्य करने पर व भूमि की प्रकृति बदलने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि शामलाती भूमि है व कृषि भूमि है जिस पर बिना अनुमति निर्माण कार्य करने का अधिकारी किसी भी पक्ष को नहीं है। अप्रार्थीगण लाठी व ताकत वाले लोग है एवं वे पूर्व में किये गये गलत विभाजन की आड में प्रार्थीगण अपीलांट के साथ झगडा करते हैं एवं भू प्रबध विभाग द्वारा अवैध रूप से किये गये तकास्मे के आधार पर प्रार्थीगण को खसरा नंबर 1339 रकबा 0.02है. वाके ग्राम बनियाना से बेदखल करने पर आमादा है। उक्त संबंध में पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र स्टे पेश किया गया था लेकिन उस पर किन्ही कारणों से कोई आदेश पारित नहीं हो सका इसका लाभ उठाकर अप्रार्थीगण खसरा नंबर 1339 रकबा 0.02है. वाके ग्राम बनियाना की प्रकृति बदलने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थीगण को इस आशय से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है कि वे अपील के निर्णय तक खसरा नंबर 1339 रकबा 0.02है. वाके ग्राम बनियाना में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे व भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को नहीं करे एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल पैदा ना करें। अतः स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं0 1 से 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे अपील के निर्णय तक खसरा नंबर 1339 रकबा 0.02है. वाके ग्राम बनियाना में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से, भूमि को रहन बय, हस्तांतरण [illegible] प्रार्थीगण के अधिकारों में किसी प्रकार का दखल उत्पन्न करने से प्रतिबंधित [illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण की स्थगन प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई [illegible] प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा भू प्रबंध विभाग के आदेश दिनांक 18.1.1982 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है जो कि [illegible] वर्ष बाद प्रस्तुत की जा रही है, जबकि मियाद की अवधि 30 दिवस की होती है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के विपक्ष में तय की जाती है। प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील के संलग्न रहे। जिला कलक्टर, दौसा	

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:44:34 IST
Reason: SelfAttested